रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238899
CG-DL-E-16092022-238899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
No. 457] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.095.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 3 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उप-विनियम (1)(क) के अधीन या धारा 59(3)(क) के अधीन घोषणा में यह उपबंध होगा कि कारपोरेट व्यक्ति ने उसके विघटन के पश्चात् उसके अभिलेखों को परिरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की है ।"

3. मूल विनियमों में, विनियम 41 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**41. अभिलेखों का परिरक्षण**

(1) परिसमापक ऐसे समस्त अभिलेखों की प्रतियों को, जो स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन देने के लिए आवश्यक है, परिरक्षित रखेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन बाध्यताओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिसमापक निम्नलिखित से संबंधित या उनका आधार गठित करने वाले अभिलेखों की प्रतियां परिरक्षित रखेगा -

(क) परिसमापक के रूप में उसकी नियुक्ति, जिसके अंतर्गत नियुक्ति के निबंधन भी हैं;

(ख) असाइनमेंट सौंपने/ग्रहण करने;

(ग) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ करने;

(घ) लोक उद्घोषणा;

(ङ) दावों, दावों के सत्यापन और हितधारकों की सूची;

(च) व्यावसायिकों, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों, आदि के नियोजन, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए कार्य, प्रस्तुत की गई रिपोर्टें आदि भी हैं;

(छ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय, जो भी लागू हो, के समक्ष सभी फाइलिंग और उनके आदेश;

(ज) बोर्ड और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के समक्ष कानूनी फाइलिंग;

(झ) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के दौरान पत्र-व्यवहार;

(ञ) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया की लागत;

(ट) समस्त रिपोर्टें, रजिस्टर, दस्तावेज़, जैसे प्रारंभिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रास्थिति रिपोक्ट, विघटन से पूर्व अंतिम रिपोर्ट, मूल विनियमों के विनियम 98 और 10 में उल्लिखित विभिन्न रजिस्टर और बहियां, आदि;

(ठ) ऐसा कोई अन्य अभिलेख, जिससे प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन दिया जाना अपेक्षित है ।

(3) परिसमापक, बोर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या किसी न्यायालय के समक्ष, जो भी पश्चात्वर्ती हो, कारपोरेट व्यक्ति के विघटन की तारीख से-

(क) कम से कम आठ वर्षों के, समस्त अभिलेखों की इलैक्ट्रानिक प्रति (भौतिक और इलैक्ट्रानिक); और

(ख) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए, अभिलेखों की एक भौतिक प्रति, परिरक्षित रखेगा ।

(4) प्रक्रिया के दौरान परिसमापक के बदले जाने की दशा में, छोड़ने वाला परिसमापक, उप-विनियम (1) और (2) के अधीन अभिलेख नए परिसमापक को सौंपेगा ।

(5) परिसमापक अभिलेखों को किसी सुरक्षित स्थान पर परिरक्षित रखेगा और वह अभिलेखों को, जैसा कि संहिता और मूल विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा ।

(6) परिसमापक, धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए आवेदन के साथ उप-विनियम (1) और (2) के अधीन अभिलेखों के परिरक्षण के ब्यौरे और उसकी रीति उपलब्ध कराएगा ।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के अधीन निर्दिष्ट अभिलेख के अंतर्गत किसी समापन प्रक्रिया की ऐसे अवधि से संबंधित अभिलेख भी है, जिसके दौरान परिसमापक ने इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने उसके प्रारंभ से असाइनमेंट ग्रहण नहीं की थी या उसके पूरा होने तक असाइनमेंट जारी नहीं रखी थी, इस रूप में कार्य किया था ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./277/2022-23]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 182, तारीख 5 अप्रैल, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी. एन./आर.ई.जी.081, तारीख 5 अप्रैल, 2022 प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG095.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 3, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(5) The declaration under sub-regulation (1)(a) or under section 59(3)(a) shall provide that the corporate person has made provision for preservation of its records after its dissolution."

3. In the principal regulations, for regulation 41, the following regulation shall be substituted, namely:-

"41. Preservation of records.

(1) The liquidator shall preserve copies of all such records which are required to give a complete account of the voluntary liquidation process.

(2) Without prejudice to the generality of the obligations under sub-regulation (1), the liquidator shall preserve copies of records relating to or forming the basis of:-

(a) his appointment as liquidator, including the terms of appointment;

(b) handing over / taking over of the assignment;

(c) initiation of voluntary liquidation process;

(d) public announcement;

(e) claims, verification of claims, and list of stakeholders;

(f) engagement of professionals, registered valuers, etc. including work done, reports etc., submitted by them;

(g) all filings with the Adjudicating Authority, Appellate Authority, High Courts, Supreme Court, whichever applicable and their orders;

(h) statutory filings with Board and insolvency professional agencies;

(i) correspondence during the voluntary liquidation process;

(j) cost of voluntary liquidation process;

(k) all reports, registers, documents such as preliminary report, annual status report, final report prior to dissolution, various registers and books, etc. mentioned in Regulation 8 and 10 of principal regulations; and

(l) any other records, which is required to give a complete account of the process.

(3) The liquidator shall preserve:

(a) electronic copy of all records (physical and electronic) for a minimum period of eight years; and

(b) a physical copy of records for a minimum period of three years;

from the date of dissolution of the corporate person, before the Board, the Adjudicating Authority, Appellate Authority or any Court, whichever is later.

(4) In case of replacement of liquidator during the process, the outgoing liquidator shall handover the records under sub-regulation (1) and (2) to the new liquidator.

(5) The liquidator shall preserve the records at a secure place and shall be obliged to produce records as may be required under the Code and the principal regulations.

(6) The liquidator shall, along with the application filed under sub-section (7) of section 59 to the Adjudicating Authority, provide the details and manner of preservation of records under sub-regulation (1) and (2).

***Explanation* -** The records referred to in this regulation includes records pertaining to the period of a liquidation process during which the liquidator acted as such, irrespective of the fact that he did not take up the assignment from its commencement or continue the assignment till its conclusion."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./277/2022-23]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 on 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 dated 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022 published vide notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.081 dated 05th April 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 182 on 05th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238897
CG-DL-E-16092022-238897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
No. 456] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई/2022-23/जी.एन/आर.ई.जी.094.—दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उप-धारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम**न**, 2016 में अतिरिक्त संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियम' कहा जाएगा), विनियम 2ख में, उप-विनियम (1) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

   "परन्तु यह और कि जहां भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39खक के तहत समिति द्वारा समझौते या ठहराव के प्रस्ताव की सिफारिश की गई हो, वहां परिसमापक समापन आदेश के तीस दिन के भीतर प्रस्ताव दाखिल करेगा। "

3. मूल विनियमों में, विनियम 4 में ,

(i) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) जहां उप-विनियम (1) के तहत कोई शुल्क तय नहीं किया गया है, परामर्श समिति अपनी पहली बैठक में परिसमापक का शुल्क तय कर सकती है।"

(ii) उप-विनियम (2) में, अंक और कोष्ठक "(1)" के बाद, शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक " और (1ख)" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. मूल विनियमों में, विनियम 12 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) परन्तु कि जहां कोई पक्षकार समापन प्रक्रिया के दौरान अपने दावों को प्रस्तुत नहीं करता है, ऐसे पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे, और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी मामला हो, द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान के दौरान विधिवत रूप से एकत्र किए गए दावे, को धारा 38 के तहत प्रस्तुत माना जाएगा।"

5. मूल विनियमों में, विनियम 12 के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"12क. **प्रक्रिया ईमेल आईडी**

परिसमापक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 4ग के अनुसार समाधान व्यावसायिक द्वारा उसे सौंपे गए प्रक्रिया ईमेल खाते का संचालन करेगा और उसके प्रतिस्थापन की स्थिति में, ऐसी ईमेल आईडी के क्रेडेंशियल नए परिसमापक को सौंप दिए जाएंगे।"

6. मूल विनियमों में, विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निम्नालिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट" शब्दों के लिए, "बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में निम्नालिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और बोर्ड को" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. मूल विनियमों में, विनियम 15 में, उप-विनियम (4) में, परंतुक का लोप कर दिया जाएगा।

8. मूल विनियमों में, विनियम 30 में, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु कि परिसमापक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एकत्र किए गए दावों को भी सत्यापित करेगा, लेकिन समापन प्रक्रिया के दौरान दावों की प्राप्ति होने की अंतिम तिथि से तीस दिनों के भीतर समापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए दावों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। "

9. मूल विनियमों में, विनियम 31क में ,

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) परिसमापक विनियम 31 के तहत तैयार की गई हितबद्धों की सूची के आधार पर, उन्हें संबंधित मामलों पर निम्नलिखित सलाह देने के लिए, समापन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर एक परामर्श समिति का गठन करेगा, जिसमें कॉरपोरेट ऋणी के सभी लेनदार शामिल होंगे-

(क) विनियम 7 के तहत नियुक्त व्यावसायिकों का पारिश्रमिक ;

(ख) बिक्री के तरीके, पूर्व-बोली योग्यता, आरक्षित मूल्य, विपणन रणनीति और नीलामी प्रक्रिया सहित विनियमन 32 के तहत बिक्री;

(ग) परिसमापक का शुल्क ;

(घ) विनियम 35 के उप-विनियम (2) के तहत मूल्यांकन ;

(ङ) अधिमानी संव्यवहारों, न्यूनमूल्यांकित संव्यवहारों, जबरन उगाही किए गए क्रेडिट संव्यवहारों या धोखाधड़ी या कपटपूर्ण व्यापार, यदि कोई हो, के संबंध में कार्यवाही करने का तरीका जिसे समापन कार्यवाही को बंद करने के बाद चलाया जाएगा और ऐसी कार्यवाही से प्राप्तियां, यदि कोई हो, वितरित करने का तरीका।"

(ii) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) धारा 21 के तहत लेनदारों की समिति उप-विनियम (1) के तहत परामर्श समिति के गठन तक समान मतदान अधिकारों के साथ परामर्श समिति के रूप में कार्य करेगी ।"

(iii) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) परामर्श समिति के सदस्य का मतदान हिस्सा कुल स्वीकृत दावे में उसके स्वीकृत दावे के अनुपात में होगा:

परन्तु कोई प्रतिभूत लेनदार जिसने धारा 52 के तहत अपने प्रतिभूति हित को नहीं त्यागा है, वह परामर्श समिति का हिस्सा नहीं होगा;

परन्तु कि संप्रवर्तक, निदेशक, भागीदार या उनके प्रतिनिधि परामर्श समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

परन्तु कि एक वित्तीय लेनदार या उसका प्रतिनिधि, यदि वह कारपोरेट ऋणी का संबंधित पक्ष है, तो उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।"

(iv) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) परिसमापक परामर्श समिति में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित करने के लिए प्रत्येक वर्ग के हितबद्धों अर्थात् किसी वर्ग में वित्तीय लेनदारों, कामगारों, कर्मचारियों, सरकारी विभागों, अन्य परिचालन लेनदारों, शेयरधारकों, भागीदारों को सुविधा प्रदान कर सकता है।"

(v) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4क) उप-विनियम (3) या (4) के तहत प्रतिनिधि उन हितबद्धों के मतदान हिस्सेदारी के अनुपात में मतदान करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।"

(vi) उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) परिसमापक समापन शुरू होने की तारीख के सात दिनों के भीतर परामर्श समिति की पहली बैठक बुलाएगा और परामर्श समिति के एक या अधिक सदस्यों से प्राप्त अनुरोध पर, यदि वह आवश्यक समझे, तो अन्य बैठकें बुला सकता है:

परन्तु कि जब परिसमापक को सदस्यों से, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, कुल मतदान अधिकारों में से कम से कम तैंतीस प्रतिशत से अनुरोध प्राप्त होता है, तो परिसमापक अनिवार्य रूप से बैठक बुलाएगा।"

(vii)उप-विनियम (9) में, "उपस्थित एवं मतदान" शब्दों के स्थान पर "मतदान" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) उप-विनियम (10) में, परंतुक में, "अगली प्रगति रिपोर्ट में इसका उल्लेख करेगा" शब्दों के लिए, "उक्त निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और बोर्ड को उक्त निर्णय के पांच दिन के भीतर प्रस्तुत करें; और इसे अगली प्रगति रिपोर्ट में शामिल करेगा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) उप-विनियम (10) के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(11) परामर्श समिति, कारणों को दर्ज करने के बाद, कम से कम 66 प्रतिशत के बहुमत से, परिसमापक को बदलने का प्रस्ताव कर सकती है और अनुसूची II के प्रपत्र कक में प्रस्तावित परिसमापक की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद, परिसमापक के प्रतिस्थापन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर करेगी:

परन्तु कि जहां किसी परिसमापक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, वह-

(क) अपने प्रतिस्थापन तक काम करना जारी रखेगा; तथा

(ख) उसके प्रतिस्थापन तक किए गए कार्य के लिए उसे उपयुक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा ।

परन्तु कि जहां भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 के प्रारंभ होने से पहले विनियम 31क के तहत किसी परामर्श समिति का गठन किया गया है, वहां परिसमापक, उक्त विनियमों के अनुसार, उक्त विनियमों के प्रारंभ होने से 30 दिनों के भीतर, परामर्श समिति का पुनर्गठन करेगा और संशोधित विनियम 31क के तहत किए गए प्रावधान परामर्श समिति के पुनर्गठन के बाद ही प्रवृत्त होंगे।"

10. मूल विनियमों में, विनियम 32क में, उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) परिसमापक केवल पहली नीलामी में ही विनियमन 32 के खंड (ड) के तहत कारपोरेट ऋणी की संपत्ति बेच सकता है।"

11. मूल विनियमों में, विनियम 32क के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"32ख परामर्श समिति की बैठकों का संचालन

संहिता के भाग II और इन विनियमों के अध्याय III के तहत अन्यथा प्रावधान किए गए को छोड़कर, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के अध्याय VI और अध्याय VII के विनियम 18 से 26 के प्रावधान समापन कार्यवाही के तहत परामर्श समिति की बैठकों में *आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू* करेगा।"

12. मूल विनियमों में, विनियम 34 में ,

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) विनियम 35 के उप-विनियम (1) के तहत मामलों के लिए, परिसमापक, समापन शुरू होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, धारा 29 के तहत तैयार सूचना ज्ञापन के आधार पर इस विनियम के अनुसार उपयुक्त संशोधन के साथ एक आस्ति ज्ञापन तैयार करेगा।"

(ii) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) विनियम 35 के उप-विनियम (2) के तहत आने वाले मामलों के लिए, परिसमापक इस विनियम के अनुसार समापन शुरू होने की तारीख से पचहत्तर दिनों के भीतर एक आस्ति ज्ञापन तैयार करेगा।"

(iii) उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) परिसमापक बोर्ड और परामर्श समिति के प्रत्येक सदस्य से इस आशय से एक वचनबंध पत्र प्राप्त करने के पश्चात मतदान अधिकार रखने वाले प्रत्येक सदस्यों के साथ आस्ति ज्ञापन साझा करेगा कि ऐसा सदस्य जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और वह ऐसी जानकारी का उपयोग अनुचित लाभ के लिए या खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं करेगा।"

13. मूल विनियमों में, विनियम 44 में, उप विनियम (1) में, परंतुक का लोप कर दिया जाएगा।

14. मूल विनियमों में, विनियम 44 के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"44क. संव्यवहार न करने का उपचार

परिसमापक, परामर्श समिति की सलाह पर, विनियम 45 के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट के साथ, आवेदन में अध्याय III के तहत संव्यवहार न करने, यदि कोई हो, के संबंध में या संहिता के भाग II के अध्याय VI के के तहत धोखाधड़ी या गलत व्यापार के संबंध में कार्यवाही के तरीके के बारे में बताएगा, जिसे समापन प्रक्रिया के विघटन या समापन होने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा और इस तरह की कार्यवाही से होने वाली प्राप्तियों, यदि कोई हो, के वितरण की पद्धित का भी उल्लेख करेगा। ”

15. मूल विनियमों में, विनियम 45 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"45क. अभिलेखों का संरक्षण

(1) परिसमापक ऐसे सभी अभिलेखों की प्रतियों को सुरक्षित रखेगा जो समापन प्रक्रिया का पूरा लेखा-जोखा प्रदान करते हैं।

(2) उप-विनियम (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिसमापक निम्नलिखित से संबंधित या उसका आधार बनाने वाले अभिलेखों की प्रतियों को संरक्षित करेगा:-

(क) नियुक्ति की शर्तों सहित परिसमापक के रूप में उसकी नियुक्ति;

(ख) समनुदेशन को सौंपना और लेना;

(ग) समापन में कारपोरेट ऋणी का प्रवेश;

(घ) सार्वजनिक घोषणा;

(ड) समापन प्रक्रिया के दौरान परामर्श समिति का गठन और परामर्श समिति की बैठकों के कार्यवृत्त;

(च) दावे, दावों का सत्यापन और हितधारकों की सूची;

(छ) समापन प्रक्रिया में प्रतिभूति लेनदारों द्वारा त्याग या अन्यथा का विवरण;

(ज) उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य, रिपोर्ट आदि सहित व्यावसायिकों, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं आदि की नियुक्ति;

(झ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत समापन प्रक्रिया में बिक्री या समझौता या ठहराव के मामले में प्राप्त योजनाओं / प्रस्तावों / योजना का निमंत्रण, विचारण और अनुमोदन;

(ञ) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए सभी दस्तावेज़, जो भी लागू हो और उनके आदेश;

(ट) बोर्ड और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के साथ वैधानिक फाइलिंग;

(ठ) समापन प्रक्रिया के दौरान पत्राचार;

(ड) समापन प्रक्रिया की लागत;

(ढ) सभी रिपोर्ट, रजिस्टर, दस्तावेज जैसे प्रारंभिक रिपोर्ट, आस्ति ज्ञापन, प्रगति रिपोर्ट, परिसंपत्ति बिक्री रिपोर्ट, वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, विघटन से पहले की अंतिम रिपोर्ट, विभिन्न रजिस्टर और पुस्तकें आदि।

(ण) अधिमानी, न्यूनमूल्यांकित, जबरन उगाही किए गए क्रेडिट संव्यवहारों या धोखाधड़ी या कपटपूर्ण व्यापार।

(त) कोई अन्य अभिलेख, जो प्रक्रिया का पूरा लेखा-जोखा देने के लिए आवश्यक है।

(3)परिसमापक निम्नलिखित अवधि के लिए अभिलेखों को सुरक्षित रखेगा:

बोर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी या किसी न्यायालय के समक्ष, कारपोरेट ऋणी के विघटन की तारीख या परिसमापन प्रक्रिया के बंद होने या परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्यवाही के समापन की तारीख से, जो भी बाद में हो।

(क) इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि के सभी अभिलेखों (भौतिक तथा इलेक्ट्रोनिक) के लिये कम से कम आठ वर्षों की अवधि;तथा

(ख) अभिलेखों की भौतिक प्रति के लिए तीन वर्षों की न्यूनतम अवधि;

(4) परिसमापक के प्रतिस्थापन के मामले में, निवर्तमान परिसमापक उप-विनियम (1) और (2) के तहत नए परिसमापक को अभिलेख सौंप देगा और किसी भी कारण से, नए परिसमापक को नहीं सौंपे गए अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(5) जहां कॉरपोरेट ऋणी को विनियम 32 के खंड (ड) के तहत एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में बेचा गया है, कारपोरेट ऋणी के सामान्य अभिलेख सफल खरीदार को सौंपे जाएंगे।

(6) कॉरपोरेट ऋणी के अभिलेख लागू कानूनों के अनुसार परिसमापक द्वारा संरक्षित किए जाएंगे।

(7) परिसमापक अभिलेखकोकिसीसुरक्षित स्थान पर संरक्षित करेगाऔर संहिता और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण - इस विनियम में संदर्भित अभिलेखों में किसी परिसमापन प्रक्रिया की अवधि से संबंधित अभिलेख शामिल हैं, जिसके दौरान परिसमापक ने इस तरह कार्य किया, इस तथ्य के बावजूद कि उसने इसके प्रारंभ से समनुदेशन नहीं लिया या इसके समापन तक समनुदेशन जारी नहीं रखा। ”

16. मूल विनियमों में, विनियम 47 में, तालिका में, -

(i) क्रमांक 3 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"

क्रमांक संख्या	धारा / विनियम	कार्य का विवरण	मानक	अद्यतन समयसीमा (दिनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3ए.	विनियम 31क (6)	एस सीसी की पहली बैठक	एलसीडी के 7 दिनों के भीतर	टी+7

"

(ii) क्रमांक 12 में,

(क) कॉलम 4 में, अंक "75" के स्थान पर अंक और चिह्न "30/75" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) कॉलम 5 में अंक "75" के स्थान पर अंक और चिह्न "30/75" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. मूल विनियमों में, अनुसूची I में, पैरा (1) में ,

(i) खंड (1) के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) विनियम 2ख के प्रावधानों के अधीन, परिसमापक समापन शुरू होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर विनियमन 32 के तहत बिक्री के लिए नीलामी की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, जब तक कि परामर्श समिति समय सीमा बढ़ाने की सलाह नहीं देती।

(1ख) अंतिम असफल नीलामी से पंद्रह दिनों के भीतर, परिसमापक नीलामी की विफलता के मामले में, अगली नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, जब तक कि परामर्श समिति निर्दिष्ट समय अवधि से विचलित होने की सलाह न दे।

(1ग) इस अनुसूची में किसी भी बात के होते हुए भी, परिसमापक नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना जारी होने के पैंतीस दिनों के भीतर नीलामी प्रक्रिया को पूरा करेगा ।

(1घ) परिसमापक संभावित बोलीदाता द्वारा पात्रता दस्तावेज़ जमा करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद कम से कम चौदह दिन का समय प्रदान करेगा।

(1ड) परिसमापक योग्य बोलीदाता की घोषणा की तारीख से नीलामी की जा रही आस्ति के निरीक्षण या उचित विचार-विमर्श के लिए योग्य बोलीदाता को कम से कम सात दिनों का समय प्रदान करेगा।

(1च) नीलामी प्रक्रिया में एक संभावित बोलीदाता नीलामी की तारीख से कम से कम दो दिन पहले तक बयाना राशि जमा करेगा।"

(ii) खंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (7) बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, परिसमापक केवल बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से आस्ति की बिक्री करेगा।

18. मूल विनियमों में, अनुसूची II में, प्ररूप 'क' के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप कक

परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 31क के तहत)

[तिथि]

प्रेषक

[दिवाला व्यावसायिक का नाम]

[दिवाला व्यावसायिक की पंजीकरण संख्या]

[दिवाला व्यावसायिक का बोर्ड के साथ पंजीकृत पता]

प्राप्तकर्ता

हितधारकों की परामर्श समिति
[कारपोरेट ऋणी का नाम]

विषय : परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति ।

मैं, [नाम], एक दिवाला व्यावसायिक जो [दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम] में नामांकित हूँ और बोर्ड के साथ पंजीकृत हूँ, नोट करता हूँ कि परामर्श समिति ने मुझे [कारपोरेट ऋणी का नाम] की समापन प्रक्रिया के संचालन के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 31क के तहत परिसमापक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।

2. उपरोक्त विनियमों के अनुसार, मैं एतद्वारा प्रस्तावित नियुक्ति के लिए सहमति देता हूं।

3. मैं निम्नानुसार घोषणा और पुष्टि करता हूं : -

(क) मैं एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में बोर्ड के साथ पंजीकृत हूं।

(ख) मुझपर बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा शुरू की गई कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं चल रही है।

(ग) मैं एक परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी विकलांगता से ग्रस्त नहीं हूं।

(घ) मैं विनियम 3 और संहिता और विनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कारपोरेट ऋणी के परिसमापक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हूं।

(ङ) मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में दिवाला व्यावसायिकों के लिए निर्धारित आचार संहिता के अनुसार प्रकटीकरण करूंगा;

(च) मैं, वर्तमान में निम्नलिखित प्रक्रियाएं कर रहा हूँ:

क्रमांक	भूमिका	सहमति की तारीख पर प्रक्रियाओं की संख्या
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक	
2	क. कारपोरेट ऋणी ख. व्यक्तियों का समाधान व्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रियाओं ख. स्वैच्छिक समापन प्रक्रियाओं का परिसमापक	

4	शोधन अक्षमता ट्रस्टी	
5	अधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया बताएं)	

दिनांक: (दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर)

स्थान : पंजीकरण संख्या .... "

19. मूल विनियमों में, अनुसूची II में, प्ररूप ख में, "परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर" शब्दों से पहले, शब्द और अभिव्यक्ति "यदि कोई हितधारक समापन प्रक्रिया के दौरान अपने दावे प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसे हितधारक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान धारा 38 के तहत प्रस्तुत माना जाएगा।" को अंत:स्थापित किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./276/2022-23]

टिप्पणी : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 दिनांक 15 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 15 दिसंबर, 2016 की संख्या 460 के तहत प्रकाशित किए गए थे और 28 अप्रैल, 2022 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 231 के तहत इसे अंतिम बार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी082 दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG094.- In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2B, in sub-regulation (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

   "Provided further that where the recommendation to explore proposal of compromise or arrangement has been made by the committee under regulation 39BA of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, the liquidator shall file the proposal within thirty days of the order of liquidation."

3. In the principal regulations, in regulation 4,

(i) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(1A) Where no fee has been fixed under sub-regulation (1), the consultation committee may fix the fee of the liquidator in its first meeting."

(ii) in sub-regulation (2), after the figure and brackets "(1)", the word, figure, letter and brackets " and (1A)" shall be inserted.

4. In the principal regulations, in regulation 12, in sub-regulation (2), after clause (b), the following shall be inserted, namely:-

"(c) provide that where a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder, and duly collated by the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, during the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, shall be deemed to be submitted under section 38."

5. In the principal regulations, after regulation 12, the following shall be inserted, namely: -

"**12A. Process email ID.**

The liquidator shall operate the process email account handed over to him by the resolution professional in accordance with regulation 4C of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations,2016 and in the event of his replacement, the credentials of such email ID shall be handed over to the new liquidator."

6. In the principal regulations, in regulation 15, in sub-regulation (1), for the words "Progress Reports to the Adjudicating Authority", the words "Progress Reports, in the format stipulated by the Board, to the Adjudicating Authority and the Board" shall be substituted.

7. In the principal regulations, in regulation 15, in sub-regulation (4), the proviso shall be omitted.

8. In the principal regulations, in regulation 30, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the liquidator shall also verify the claims collated during the corporate insolvency resolution process but not submitted during the liquidation process, within thirty days from the last date for receipt of claims during liquidation process and may either admit or reject the claim, in whole or in part."

9. In the principal regulations, in regulation 31A,

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The liquidator shall constitute a consultation committee, comprising of all creditors of the corporate debtor, within sixty days from the liquidation commencement date, based on the list of stakeholders prepared under regulation 31, to advise him on matters relating to-

(a) remuneration of professionals appointed under regulation 7;

(b) sale under regulation 32, including manner of sale, pre-bid qualifications, reserve price, marketing strategy and auction process.;

(c) fees of the liquidator;

(d) valuation under sub- regulation (2) of regulation 35;

(e) the manner in which proceedings in respect of preferential transactions, undervalued transaction, extortionate credit transaction or fraudulent or wrongful trading, if any, shall be pursued after closure of liquidation proceedings and the manner in which the proceeds, if any, from these proceedings shall be distributed."

(ii) after sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely: -

"(1A) The committee of creditors under section 21 shall function as the consultation committee with same voting rights till constitution of the consultation committee under sub-regulation (1)"

(iii) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely: -

"(2) The voting share of a member of the consultation committee shall be in proportion to his admitted claim in the total admitted claim:

Provided a secured creditor who has not relinquished his security interest under section 52 shall not be part of the consultation committee;

Provided that the promoters, directors, partners or their representatives may attend the meeting of the consultation committee, but shall not have any right to vote.

Provided further that a financial creditor or his representative, if he is a related party of the corporate debtor, shall not have right to vote."

(iv) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely: -

"(3) The liquidator may facilitate the stakeholders of each class namely financial creditors in a class, workmen, employees, government departments, other operational creditors, shareholders, partners, to nominate their representative for participation in the consultation committee."

(v) after sub-regulation (4), the following shall be inserted, namely: -

"(4A) the representative under sub-regulation (3) or (4) shall vote in proportion to the voting share of the stakeholders it represents."

(vi) for sub-regulation (6), the following shall be substituted, namely: -

"(6) The liquidator shall convene the first meeting of the consultation committee within seven days of the liquidation commencement date and may convene other meetings, if he considers necessary, on a request received from one or more members of the consultation committee:

Provided that when a request is received by the liquidator from members, individually or collectively, having at least thirty three percent of the total voting rights, the liquidator shall mandatorily convene the meeting."

(vii) in sub-regulation (9), for the words "present and voting", the word "voting" shall be substituted.

(viii) in sub-regulation (10), in the proviso, for the words "mention it in the next progress report", the words "submit the records relating to the said decision, to the Adjudicating Authority and to the Board within five days of the said decision; and include it in the next progress report" shall be substituted.

(ix) after sub-regulation (10), the following shall be inserted, namely :-

"(11) The consultation committee, after recording the reasons, may by a majority vote of not less sixty-six per cent., propose to replace the liquidator and shall file an application, after obtaining the written consent of the proposed liquidator in Form AA of the Schedule II, before the Adjudicating Authority for replacement of the liquidator :

Provided that where a liquidator is proposed to be replaced, he shall-

(a) continue to work till his replacement; and

(b) be suitably remunerated for work performed till his replacement.

Provided that where a consultation committee under Regulation 31A has been constituted before the commencement of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022, the liquidator within thirty days of the commencement of the said Regulations, shall re-constitute the consultation committee as required under the said Regulations and provisions provided under amended Regulation 31A shall come into effect only after such constitution."

10. In the principal regulations, in regulation 32A, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely: -

"(4) The liquidator may sell the assets of the corporate debtor under clause (e) of regulation 32 exclusively only at the first auction."

11. In the principal regulations, after regulation 32A, the following shall be inserted, namely:-

"32B Conduct of meetings of the consultation committee.

Save as otherwise provided under Chapter III of Part II of the Code and these Regulations, the provisions of regulations 18 to 26 of Chapter VI and Chapter VII of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 shall apply *mutatis mutandis* to meetings of the consultation committee under liquidation proceedings."

12. In the principal regulations, in regulation 34,

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) For cases under sub-regulation (1) of regulation 35, the liquidator shall, within thirty days from the liquidation commencement date, prepare an asset memorandum in accordance with this regulation based on the information memorandum prepared under section 29, with suitable modifications."

(ii) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) For cases covered under sub-regulation (2) of regulation 35, the liquidator shall prepare an asset memorandum in accordance with this Regulation within seventy-five days from the liquidation commencement date."

(iii) for sub-regulation (5), the following shall be substituted, namely:-

"(5) The liquidator shall share the asset memorandum with the Board and members of the consultation committee having voting rights after receiving an undertaking from each member that such member shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person."

13. In the principal regulations, in regulation 44, in sub regulation (1), the proviso shall be omitted.

14. In the principal regulations, after regulation 44, the following shall be inserted, namely:-

"44A. Treatment of avoidance of transaction.

The liquidator shall, on the advice of the consultation committee, provide in the application along with the final report filed under regulation 45 for the manner in which proceedings in respect of avoidance transactions, if any, under Chapter III or fraudulent or wrongful trading under Chapter VI of Part II of the Code, will be pursued after the dissolution or closure of liquidation process and the manner in which the proceeds, if any, from such proceedings shall be distributed."

15. In the principal regulations, after regulation 45, the following regulation shall be inserted, namely: -

"45A. Preservation of records.

(1) The liquidator shall preserve copies of all such records which give a complete account of the liquidation process.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-regulation (1), the liquidator shall preserve copies of records relating to or forming the basis of:-

a) his appointment as liquidator, including the terms of appointment;

b) handing over and taking over of the assignment;

c) admission of corporate debtor into liquidation;

d) public announcement;

e) the constitution of consultation committee and minutes of consultation committee meetings during liquidation process;

f) claims, verification of claims, and list of stakeholders;

g) details of relinquishment or otherwise by secured creditors in liquidation process;

h) engagement of professionals, registered valuers, etc. including work done, reports etc., submitted by them;

i) Invitation, consideration and approval of plans / proposals / scheme received, in case of going concern sale in liquidation process or compromise or arrangement under section 230 of the Companies Act, 2013;

j) all filings with the Adjudicating Authority, Appellate Authority, High Courts, Supreme Court, whichever applicable and their orders;

k) statutory filings with Board and insolvency professional agencies;

l) correspondence during the liquidation process;

m) cost of liquidation process;

n) all reports, registers, documents such as preliminary report, asset memorandum, progress reports, asset sale report, annual status report, final report prior to dissolution, various registers and books, etc. mentioned in regulations 5 and 6 of these Regulations.

o) preferential, undervalued, extortionate credit transactions or fraudulent or wrongful trading.

p) any other records, which is required to give a complete account of the process.

(3) The liquidator shall preserve:

a. electronic copy of all records (physical and electronic) for a minimum period of eight years;and

b. a physical copy of records for a minimum period of three years;

from the date of dissolution of the corporate debtor or closure of the liquidation process or the conclusion of any proceeding relating to the liquidation process, before the Board, the Adjudicating Authority, Appellate Authority or any Court, whichever is later.

(4) In case of replacement of liquidator, the outgoing liquidator shall handover the records under sub-regulation (1) and (2) to the new liquidator and be responsible for preserving the records not handed over, for any reason, to the new liquidator.

(5) Where the corporate debtor has been sold as a going concern under clause (e) of regulation 32, the general records of the corporate debtor shall be handed over to the successful buyer.

(6) The records of the corporate debtor shall be preserved by the liquidator as per the applicable laws.

(7) The liquidator shall preserve the records at a secure place and shall be obliged to produce records as may be required under the Code and the Regulations made thereunder.

Explanation - The records referred to in this regulation include records pertaining to the period of a liquidation process during which the liquidator acted as such, irrespective of the fact that he did not take up the assignment from its commencement or continued the assignment till its conclusion."

16. In the principal regulations, in regulation 47, in the Table,-

(i) after serial number 3, the following entries shall be inserted, namely:-

"

Sl. No.	Section / Regulation	Description of Task	Norm	Latest Timeline (Days)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3A.	Reg. 31A (6)	First meeting of SCC	Within 7 days of LCD	T+7

"

(ii) in serial number 12,

(a) in column 4, for the figure "75" the figures and mark "30/75", shall be substituted.

(b) in column 5, for the figure "75" the figure and mark "30/75", shall be substituted.

17. In the principal regulations, in Schedule I, in para (1),

(i) after clause (1), the following shall be inserted, namely:-

"(1A) Subject to provisions of regulation 2B, the liquidator shall issue a public notice of an auction for sale under regulation 32 within forty-five days from the liquidation commencement date unless the consultation committee advises to extend the timeline.

(1B) The liquidator shall issue public notice for the next auction, in case of failure of the auction, within fifteen days from the last failed auction unless the consultation committee advises to deviate from the specified time period.

(1C) Notwithstanding anything contained in this Schedule, the liquidator shall complete an auction process within thirty-five days from the issue of public notice for auction.

(1D) The liquidator shall provide at least fourteen days from issue of public notice for submission of eligibility documents by prospective bidder.

(1E) The liquidator shall provide to qualified bidder at least seven days, for inspection or due diligence of assets under auction, from the date of declaration of qualified bidder.

(1F) A prospective bidder in an auction process shall deposit earnest money deposit at least up to two days before the date of auction."

(ii) for the clause (7), the following shall be substituted, namely: -

"(7) From a date to be notified through circular by the Board, the liquidator shall sell the assets only through an electronic auction platform empanelled by the Board."

18. In the principal regulations, in Schedule II, after Form A, the following shall be inserted, namely:-

"FORM AA

WRITTEN CONSENT TO ACT AS LIQUIDATOR

(Under regulation 31A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

[Date]

From
[Name of the insolvency professional]
[Registration number of the insolvency professional]
[Address of the insolvency professional registered with the Board]

To
The Stakeholders' Consultation Committee
[name of corporate debtor]

Subject: Written Consent to act as liquidator.

I, [name], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board, note that the consultation committee proposes to appoint me as liquidator under regulation 31A of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 for conducting liquidation process of [name of the corporate debtor].

2. In accordance with aforementioned regulation, I hereby give consent to the proposed appointment.

3. I declare and affirm as under: -

a. I am registered with the Board as an insolvency professional.

b. I am not subject to any disciplinary proceedings initiated by the Board or the Insolvency Professional Agency.

c. I do not suffer from any disability to act as a liquidator.

d. I am eligible to be appointed as liquidator of the corporate debtor under regulation 3 and other applicable provisions of the Code and regulations.

e. I shall make the disclosures in accordance with the code of conduct for insolvency professionals as set out in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;

f. I am having the following processes in hand:

Sl .No.	Role as	No .of Processes on the date of Consent
1	Interim Resolution Professional	
2	Resolution Professional of a. Corporate Debtors b Individuals	
3	Liquidator of a. Liquidation Processes b. Voluntary Liquidation Processes	
4	Bankruptcy Trustee	
5	Authorised Representative	
6	Any other (Please state)	

Date: (Signature of the insolvency professional)

Place: Registration No. ....”

19. In the principal regulations, in Schedule II, in Form B, before the words “Name and signature of liquidator”, the words and expression “In case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder during the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, shall be deemed to be submitted under section 38.” shall be inserted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./276/2022-23]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. IBBI/2022-23/GN/REG082 dated the 28th April, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 231 on 28th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA